# मृतक आश्रित (छठां संशोधन) नियमावली–2001

**उत्तर प्रदेश सरकार**

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 6/12–73–का –2–2001

लखनऊ : 12 अक्टूबर, 2001

**अधिसूचना/प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

**उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2-नियम-2 का संशोधन**–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम–2 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
|---|---|
| वर्तमान खण्ड | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
| (ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:<br>1–पत्नी या पति,<br>2–पुत्र,<br>3–अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां। | (ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगें:–<br>1–पत्नी या पति,<br>2–पुत्र,<br>3–अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,<br>4–मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। |

**3-नियम-5 का संशोधन**– उक्त नियमावली में नियम–5 में वर्तमान उपनियम 2 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दियें जायेंगे, अर्थात्:–

"(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"

4-जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इंकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये यह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से,

डा0 हरिकृष्ण, सचिव।